

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :-श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि०न० - 79/2024

अनवान : -

1. रतनसिंह पुत्र फुलाराम जाति जाट साकिन पचारवाली तहसील भादरा।

-प्रार्थीगण

बनाम्

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।



-अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरुस्ती  
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट  
उपस्थिति :-श्री ताराचन्द मोठसरा प्रार्थीगण  
राजपैरोकार अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक: ०५.०८.२५

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ग्राम पचारवाली पटवार हल्का डोभी भू.अ.नि. क्षेत्र भादरा तहसील भादरा के खाता सं० 4/68 में खसरा सं० 11 की 1.8710 हैक्टेयर, खसरा सं० 12 की 3.2120 हैक्टेयर, खसरा सं० 14 की 3.7810 हैक्टेयर, खसरा सं० 140 की 2.5290 हैक्टेयर, खसरा सं० 141 की 2.5170 हैक्टेयर, खसरा सं० 15 की 1.8460 हैक्टेयर, खसरा सं० 16 की 2.3140 हैक्टेयर, खसरा सं० 17 की 3.8320 हैक्टेयर, खसरा सं० 188 की 3.4520 हैक्टेयर, खसरा सं० 189 की 1.6820 हैक्टेयर, खसरा सं० 211 की 1.2140 हैक्टेयर, खसरा सं० 221 की 1.7200 हैक्टेयर, खसरा सं० 222 की 1.6950 हैक्टेयर, खसरा सं० 3 की 0.2780 हैक्टेयर, खसरा सं० 8 की 1.3780 हैक्टेयर कुल खसरे 15 की कुल 33.3210 हैक्टेयर कृषि भूमि कुरडाराम पुत्र श्योराम के नाम दर्ज है जो कि अशुद्ध है जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम फुलाराम पुत्र श्योराम है।

प्रार्थी के पिता जिनके सभी दस्तावेजों आधार कार्ड, पनकार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी के पिता का सही एवं वास्तविक नाम फुलाराम पुत्र श्योराम दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सही प्रकार से उपयोग-उपभोग नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में उक्त नाम की शुद्धि करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद राजपैराकार तहसीलदार भादरा ने अपना जवाब पेश किया।



बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि रोही मौजा ग्राम पचारवाली पटवार हल्का डोभी भू.अ.नि. क्षेत्र भादरा तहसील भादरा के खाता सं० 4/68 में खसरा सं० 11 की 1.8710 हैक्टेयर, खसरा सं० 12 की 3.2120 हैक्टेयर, खसरा सं० 14 की 3.7810 हैक्टेयर, खसरा सं० 140 की 2.5290 हैक्टेयर, खसरा सं० 141 की 2.5170 हैक्टेयर, खसरा सं० 15 की 1.8460 हैक्टेयर, खसरा सं० 16

रतनसिंह बनाम राजस्थान सरकार


की 2.3140 हैक्टेयर, खसरा सं० 17 की 3.8320 हैक्टेयर, खसरा सं० 188 की 3.4520 हैक्टेयर, खसरा सं० 189 की 1.6820 हैक्टेयर, खसरा सं० 211 की 1.2140 हैक्टेयर, खसरा सं० 221 की 1.7200 हैक्टेयर, खसरा सं० 222 की 1.6950 हैक्टेयर, खसरा सं० 3 की 0.2780 हैक्टेयर, खसरा सं० 8 की 1.3780 हैक्टेयर कुल खसरे 15 की कुल 33.3210 हैक्टेयर बारानी खातेदारी में कुरडाराम पुत्र श्योराम के नाम से 1/54 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी कि पिता का सही नाम फुलाराम पुत्र श्योराम के स्थान पर अशुद्ध नाम कुरडाराम पुत्र श्योराम दर्ज है, अतः प्रार्थी के पिता का कुरडाराम पुत्र श्योराम का सही नाम फुलाराम पुत्र श्योराम दर्ज किया जावे ताकि प्रार्थी अपनी वादभूमि का सही उपयोग उपभोग कर सके।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजात तथा तहसीलदार भादरा से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा ग्राम पचारवाली पटवार हल्का डोभी भू.अ.नि. क्षेत्र भादरा तहसील भादरा के खाता सं० 4/68 में खसरा सं० 11 की 1.8710 हैक्टेयर, खसरा सं० 12 की 3.2120 हैक्टेयर, खसरा सं० 14 की 3.7810 हैक्टेयर, खसरा सं० 140 की 2.5290 हैक्टेयर, खसरा सं० 141 की 2.5170 हैक्टेयर, खसरा सं० 15 की 1.8460 हैक्टेयर, खसरा सं० 16 की 2.3140 हैक्टेयर, खसरा सं० 17 की 3.8320 हैक्टेयर, खसरा सं० 188 की 3.4520 हैक्टेयर, खसरा सं० 189 की 1.6820 हैक्टेयर, खसरा सं० 211 की 1.2140 हैक्टेयर, खसरा सं० 221 की 1.7200 हैक्टेयर, खसरा सं० 222 की 1.6950 हैक्टेयर, खसरा सं० 3 की 0.2780 हैक्टेयर, खसरा सं० 8 की 1.3780 हैक्टेयर कुल खसरे 15 की कुल 33.3210 हैक्टेयर बारानी खातेदारी में कुरडाराम पुत्र श्योराम के नाम से 1/54 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी के पिता का कुरडाराम पुत्र श्योराम के स्थान पर सही नाम फुलाराम पुत्र श्योराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे एवं यदि कृषि भूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। तथा यदि पूर्व में किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि कुरडाराम पुत्र श्योराम के नाम से हो तो उसके लिए पूर्व नाम कुरडाराम पुत्र श्योराम ही लागू होगा। नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार होंगे।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(कल्पिता शिवरान)  
उपसहायिका (राजस्व) R.A.S.